पावरग्रिड का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति

1.0. **भूमिका**

1.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कंपनी की अपने हितधारकों के प्रति आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिरता तरीके में व्यापार आयोजित करने, जोकि पारदर्शी और नैतिक हो, की वचनबद्धता है।

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) के हितधारकों में कुल मिलाकर पावरग्रिड, उसके कर्मचारी, निवेशक, हितधारक, उपभोक्ता, व्यापार भागीदार, ग्राहक, सिविल सोसायटी समूह, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय और उनके सार्वजनिक प्रतिनिधि, ग्राम सभा, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) और सोसायटी की गतिविधियों से सीधे रूप से प्रभावित व्यक्ति शामिल हैं।

1.2. पावरग्रिड, जोकि एक महारत्न कंपनी है, विश्व में सबसे बड़ी विद्युत शक्ति पारेषण युटिलिटीज में से एक है। पारेषण लाइन परियोजनाएं पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ है और इनमें भूमि, वायु और जल में किसी प्रकार के अपशिष्ट, निस्सार और खतरनाक पदार्थों का किसी भी प्रकार का निपटान शामिल नहीं है और इसलिए, पारेषण परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना, 2006 के सीमा क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तथापि, पारेषण लाइन परियोजनाओं का उन ग्रामीणों पर, जिनकी भूमि को सब स्टेशन के निर्माण के लिए अधिग्रहीत किया गया है और फसलों तथा वृक्षों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ता है, जब भी पारेषण लाइनें कृषि क्षेत्रों या वन्य क्षेत्रों से गुजरती है। अत:, निगम की जरूरी सीएसआर गतिविधियों के मुख्य संकेंद्रण में ऐसी सीएसआर गतिविधियों को अपनाना है जो पावरग्रिड की गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकें और ऐसी गतिविधियों को भी अपनाना जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने में मदद कर सके।

1.3. इस बात को महसूस करते हुए, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, पावरग्रिड ने अपनी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का समाधान करने के लिए 1998 में अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक नीति और

प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) का विकास किया। ईएसपीपी परिहार, न्यूनीकरण और शमन के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। ईएसपीपी को विश्व बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद और सार्वजनिक परामर्शों के जरिए 2005 और 2009 में संशोधित किया गया था।

1.4. ईएसपीपी ने अपनी पारेषण परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए पावरग्रिड के दृष्टिकोण और वचनबद्धता की रूपरेखा तैयार की, इस प्रयोजन हेतु प्रबंधन कार्य प्रक्रियाओं और प्रोटोकोल्स को निर्धारित किया जिनमें संगठनात्मक और परियोजना दोनों स्तरों पर पर्यावरणीय और सामाजिक संबद्धताओं की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए रूपरेखा तैयार करना शामिल है।

1.5. पावरग्रिड ने वर्ष 2010 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिशानिर्देशों को जारी किए जाने से काफी पहले 2009 में सीएसआर पर अपनी नीति जारी कर दी थी। डीपीई ने सितंबर, 2011 में स्थिरता विकास के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। दो अलग दिशानिर्देशों के कारण सीएसआर और स्थिरता विकास को दो पृथक दिशानिर्देश माना गया जिससे परस्पर व्यापी गतिविधियों की रिर्पोटिंग में व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हुई। इस समस्या पर विचार करते हुए, डीपीई ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए '' कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश'' शीर्षक से जनवरी, 2013 में सीएसआर और स्थिरता संबंधी दिशानिर्देशों को एकत्रित कर नए दिशानिर्देश जारी किए जो 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी किए गए । पावरग्रिड ने, तदनुसार, 2013 में अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया।

1.6. कंपनीज अधिनियम, 2013 को सितंबर, 2013 में अधिसूचित किया गया था। धारा 135 जो सीएसआर गतिविधियों से संबंधित है, को 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी बनाया गया। अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों और सीएसआर नियमावली के अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीएसआर और स्थिरता पर दिशानिर्देशों को विनियमित किया है जो 01 अप्रैल, 2014 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) पर प्रयोज्य किए गए हैं। डीपीई दिशानिर्देशों में सीएसआर नियमावली के अनिवार्य अनुपालन की आवश्यता के अतिरिक्त स्थिरता संबंधी पहलों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बाद में, कंपनीज (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियमावली, 2021 को आरंभ किया गया । सीएसआर और निगम की स्थिरता नीति को कंपनी अधिनियम,

2013 डीपीई दिशानिर्देशों और तदनुरूपी नियमों का अनुपालन करने के लिए नए सिरे से संशोधित किया जा रहा है।

1.7. **<u>सीएसआर और स्थिरता का दृष्टिकोण और लक्ष्य</u>**

1.7.1. **<u>दृष्टिकोण</u>**

ऐसा निगम बनना जो ग्रामीण विकास, शिक्षा, दक्षता विकास, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में पहलों के जरिए और स्थिरता पर्यावरणीय अभ्यासों में समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक दीर्घावधिक कार्यनीति तैयार करता है।

1.7.2. **<u>लक्ष्य</u>**

व्यापार नीति के साथ सीएसआर और स्थिरता नीति को संरेखित करना ताकि पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए हितधारकों के परामर्श में राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को अपनाने के लिए परिहार, न्यूनीकरण और उन्मूलन के सिद्धांतों का स्थिर रूप में पालन कर व्यापार किया जा सके।

2.0. **<u>सीएसआर के अंतर्गत अपनाई जाने वाली गतिविधियां</u>**

2.1. सीएसआर के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों के अनुरूप चलने वाली सारी गतिविधियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII, सीएसआर नियम, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देश और नीति निर्देश शामिल होंगे। (इसलिए, ''कंपनीज अधिनियम को अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया जाएगा''।) ऐसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो समावेशी विकास का संवर्धन कर सके ओर समाज के वंचित, अल्प सुविधा प्राप्त, उपेक्षित और कमजोर वर्गों की आधारभूत आवश्यकताओं का समाधान कर सके जिसमें अ.जा., अ.ज.जा.,अ.पि.वर्ग, अल्पसंख्यकों, बीपीएल परिवार, वृद्ध और बूढ़े लोग, महिलाएं/लड़कियां, शारीरिक रूप से अपंग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि की आधारभूत जरूरतों का समाधान समाविष्ट है।

2.2. निगम सीएसआर गतिविधियों के लिए अपने प्रचालनों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हितधारकों को प्राथमिकता देगा। चूंकि, ऐसे हितधारकों जो सामान्य तौर पर निगम के

वाणिज्यिक प्रचालनों की परिधि में स्थित होते हैं, पावरग्रिड अपने प्रचालनों के स्थानीय क्षेत्रों और पड़ोसी क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान करेगा।

2.3. किसी जिले की भौगोलिक सीमाओं, जहां पावरग्रिड विद्यमान है, को सीएसआर एवं ऐसी गतिविधियों के लिए ''स्थानीय क्षेत्र'' के रूप में समझा जाएगा। स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त, पावरग्रिड इसके बाहर भी सीएसआर गतिविधियों को अपनाएगा। स्थानीय क्षेत्रों और उनके बाहर के क्षेत्र के बीच व्यय की गई सीएसआर का अनुपात लगभग 75:25 होगा। तथापि, भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत अथवा राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण चिंता वाली निष्पादित परियोजनाओं/गतिविधियों को इस अनुपात के दायरे से बाहर रखा जाएगा। सीएसआर समिति शामिल धन राशि के बावजूद, किसी ऐसी परियोजना को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है, जो उक्त अनुपात के परे है।

2.4. जारी सीएसआर और स्थिरता परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां एक वैध सीएसआर गतिविधियों के रूप में योग्य मानी जाएंगी और इन्हें अनुमोदन किए गए अनुसार पूर्ण किया जाएगा।

2.5. कंपनी सीएसआर गतिविधियों का चयन करते समय अपने हितधारकों को दी गई अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखेगी। बशर्ते कि ऐसी गतिविधियां अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों के रूप में पात्र गतिविधि हो।

2.6. निगम के प्रचालनों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हितधारकों की सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.7. परियोजना के पूरा होने तक संपूर्ण व्यय के लिए प्रति व्यक्त वचनबद्धता के साथ लंबे समय तक तैयार होने वाली उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वरूप से तदर्थ और लोकोपकारी गतिविधियों को उपेक्षित किया जाएगा।

2.8. कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित बहु वर्षीय गतिविधियों/परियोजनाओं की अवधि उस वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त, जिसमें इसे आरंभ किया गया था, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

2.9. सीएसआर गतिविधियों को परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में अपनाया जाएगा। सीएसआर गतिविधियों के लिए परियोजना रूप को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.10. भारत में अपनाई जाने वाली एसएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां कंपनीज (सीएसआर) नियमों के अनुसार सीएसआर व्यय के बराबर होगी।

2.11. **<u>हालांकि निम्नलिखित गतिविधियों को सीएसआर गतिविधियां नहीं समझा जाएगा:-</u>**

(i) निगम के कारोबार की सामान्य अवधि के अनुसरण में अपनाई गई गतिविधियां।
(ii) कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियां।
(iii) आर एंड आर के अंतर्गत अपनाई गई गतिविधियां।
(iv) किसी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई किसी धनराशि का अंशदान।
(v) गतिविधि जिसे बोर्ड प्रकृति से तदर्थ और लोकोपकारी समझता है।
(vi) कोई गतिविधि जिसे बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है जैसाकि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है।
(vii) भारत में प्रवृत्त किसी कानून के तहत किसी अन्य सांविधिक बाध्यता को पूरा करने के लिए की गई गतिविधियां।
(viii) राष्ट्रीय स्तर या भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेलकूद कार्मिकों के प्रशिक्षण के अलावा भारत के बाहर पावरग्रिड द्वारा अपनाई गई कोई गतिविधि।

3.0. <u>प्रशासनिक ढांचा</u>

3.1. <u>निदेशक मंडल की भूमिका</u>

(i) बोर्ड तीन या अधिक निदेशकों को शामिल कर एक सीएसआर समिति का गठन करेगा, जिसमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा।
(ii) निगम के लिए सीएसआर नीति को अनुमोदित करना।
(iii) निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निगम की सीएसआर नीति की विषयवस्तु को प्रकट करना ।
(iv) निगम की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, निगम सीएसआई नीति और परियोजनाओं के गठन की स्थापना को सुनिश्चित करना।
(v) यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर नीति को कार्यान्वित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए यह सीएसआर के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निगम के

भीतर प्रबंधन द्वारा अपेक्षित तौर तरीके और प्रशासनिक प्रबंधों को स्वीकृत कर सकता है और निगम के लिए तैयार की जाने वाली पावरग्रिड सीएसआर नियमावली में अंतर्निहित कर सकता है।

(vi) सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रगति को पारदर्शी रूप से मॉनीटर करने के लिए सीएसआर समिति द्वारा प्रस्तावित पद्धति को अनुमोदित करना।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि निगम सीएसआर नीति पर तीन तात्कालिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए औसत निवल लाभ के कम से कम दो प्रतिशत को वार्षिक रूप से व्यय करता है। [औसत निवल लाभ को अधिनियम, 2013 की धारा 198 में उपलब्ध कराए गए अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए]

(viii) जारी परियोजना के लिए, निगम का बोर्ड अनुमोदित समय सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के क्रियान्वयन को मॉनीटर करेगा और समग्र अनुमोदित समय सीमा के भीतर परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने में सक्षम होगा।

(ix) बोर्ड, यदि अनिवार्य समझे तो सीएसआर नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है।

(x) सीएसआर क्रियान्वयन कंपनीज (सीएसआर) नियमावली, 2021 के अनुसरण में किया जाएगा।

3.2. <u>सीएसआर समिति की भूमिका</u>

(i) एक सीएसआर नीति को तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना।

(ii) निगम द्वारा अपनाए जाने वाली गतिविधियों के बारे में इंगित करना जैसाकि अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) सीएसआर समिति सर्वेक्षण/आंतरिक विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन अथवा किसी बाहरी एजेंसी के जरिए सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम /गतिविधि के लिए एक आवश्यकता मूल्यांकन करवा सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य/जिला प्रशासन/पंचायती राज संस्थानों, भारत सरकार के मंत्रालयों और अन्य हितधारकों की सिफारिशों पर सीएसआर के तहत गतिविधियों/परियोजनाओं को अपनाने पर विचार किया जा सकता है। समुदाय की जरूरतों को पहचाने जाने के बाद, सामुदायिक विकास गतिविधि, क्रियान्वयन की समय सीमा, कार्य-योजना, बजट जरूरत आदि की आवश्यकता की ओर इंगित करते हुए एक परियोजना तैयार की जाएगी।

(iv) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर पर उपगत की जाने वाली धनराशि की सिफारिश करना।

(v) अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसरण में निगम द्वारा अपनाए जाने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों को अनुमोदित करना।

(vi) सीएसआर नीति के लिए एक पारदर्शी मानीटरिंग व्यवस्था को बोर्ड के अनुमोदन के साथ स्थापित करना।

3.3. **निदेशक (वित्त)/सीएफओ की भूमिका:-** निदेशक (वित्त) यह सत्यापित करेंगे कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग अनुमोदित समय सीमा के भीतर और बताए गए तरीके में तथा इसके द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों के लिए किया गया है।

3.4. **आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था:-**

निगम की सीएसआर नीति से संबंधित सभी मामलों में सीएसआर समिति के जरिए बोर्ड की सेवा के लिए पावरग्रिड का कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग उत्तरदायी होगा। पावरग्रिड में समग्र सीएसआर गतिविधियों का समन्वयन करने के लिए सीएसआर समिति और बोर्ड के अनुमोदन से साथ प्रबंधन द्वारा एक केंद्रीय अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। पावरग्रिड की सीएसआर नियमावली में सीएसआर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीएसआर विभाग, केंद्रीय अधिकारी तथा पावरग्रिड की अन्य हस्तियों के विस्तृत कर्तव्य और उत्तरदायित्व अंतर्निहित होंगे।

4.0. **सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन का तरीका:-**

4.1. सीएसआर गतिविधियों को अधिमानत: परियोजना रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन सामान्य तौर पर डीजीसीआई एंड एस के महा प्रबंधक के जरिए और/अथवा निगम की कार्य और अधिग्रहण नीति के अनुसार निगम द्वारा स्थापना प्रदान करने के जरिए किया जाएगा। सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय/ राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों आदि के विभिन्न विभागों की सेवाएं भी अधिमानत: समझौता ज्ञापन अथवा डिपाजिट निर्माण कार्यों के जरिए प्राप्त की जा सकती है।

4.2. कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियां / कार्यक्रम स्वयं अपनाए गए हैं अथवा -

(क) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी अथवा पंजीकृत सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12क और 80छ के तहत कोई पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा और समान गतिविधियों को अपनाने में कम से कम कंपनी द्वारा स्थापित या तो अकेले अथवा किसी अन्य कंपनी के सहित स्थापित कोई कंपनी, अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी अथवा कोई पंजीकृत न्यास अथवा कोई पंजीकृत सोसायटी, अथवा

(ग) संसद अथवा किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई हस्ती; अथवा

(घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क और 80छ के तहत पंजीकृत हैं और जिसका समान गतिविधियों को अपनाने में कम से कम तीन वर्षों का स्थापित ट्रेक रिकार्ड है।

4.3. निगम परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम अथवा सीएसआर गतिविधियों को अपनाने के लिए अन्य निगमों / कंपनियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहयोग कर सकता है। तथापि, संबंधति सीपीएसई समितियों / कंपनियों की सीएसआर समितियों को कंपनी (सीएसआर) नियमावली के अनुसरण में ऐसी परियोजनाओं / कंपनियों पर पृथक रूप से रिपोर्ट करने की स्थिति में होना चाहिए।

4.4 कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग अगले वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों और बजट की वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे और इसे प्रत्येक वर्ष के नवंबर तक सीएसआर समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे। सीएसआर समिति को अंतिम स्वीकृति के लिए प्रत्येक वर्ष के दिसंबर, तक बोर्ड को वार्षिक कार्य योजना पर अपनी सिफारिशें भेजनी होगी।

4.5 तत्पश्चात, कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग सुनिश्चित करेगा कि पावरग्रिड की नियमावली के अनुसार प्रत्येक परियोजना / गतिविधि के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है। बदले में इन प्रस्तावों को कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग द्वारा सीएसआर समिति / सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जैसाकि बोर्ड द्वारा निर्णय किया गया हो।

4.6. सीएसआर गतिविधियों के योजना, क्रियान्वयन, मानीटरिंग और प्रभाव संबंधी मूल्यांकन को विभिन्न क्षेत्रों / परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन के तहत गतिविधि के रूप में शामिल किया जाएगा।

4.7. सीएसआर गतिविधियां सीएसआर परियोजनाओं को सीधे ही निष्पादित कर रहे कार्यकारी अधिकारियों के मुख्य परिणाम क्षेत्रों (केआरए) का भी हिस्सा होंगी।

4.8. सीएसआर की गतिविधियों का प्रस्ताव रखते समय और उन्हें स्वीकृत करते समय नीतियों में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

4.9. नीतिगत मामले के रूप में, लाभ प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित समुदायों से सीएसआर गतिविधियों की पहचान, आयोजना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान परामर्श किया जाएगा और निकटता से शामिल किया जाएगा। जहां भी संभव हो, स्थानीय प्राधिकरणों और विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों से भी इसी प्रकार परामर्श किया जा सकता है और सम्मिलित किया जा सकता है।

5.0. **<u>सीएसआर गतिविधियों की मानीटरिंग</u>**

5.1. सीएसआर समिति निगम की सीएसआर गतिविधियों की एक पारदर्शी मानीटरिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

5.2. प्रत्येक तिमाही के अंत में सीएसआर नीति और गतिविधियों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में बोर्ड को सूचित किया जा सकता है।

5.3. ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए प्रभाव संबंधी मूल्यांकन को अपनाया जाएगा जिन्हें सीएसआर के अंतर्गत अधिकतम एक वर्ष की अवधि में पूरा किया गया है। एक करोड़ रूपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रभाव संबंधी मूल्यांकन बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से कम लागत वाली छोटी परियोजनाओं के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रभाव संबंधी आकलन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा तैयार तथा स्वीकृत किए गए दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार आंतरिक प्रभाव आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक करोड़ रूपए से कम की 20 प्रतिशत परियोजनाओं और एक करोड़ रूपए से अधिक लागत वाली सभी पृथक परियोजनाओं की वार्षिक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

6.0. **<u>रिपोर्ट करना:-</u>**

6.1. **<u>बोर्ड की भूमिका</u>**

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर बोर्ड की रिपोर्ट में समय समय पर

अधिसूचित कंपनीज (सीएसआर) नियमावली में विनिर्दिष्ट विवरणों को अंतर्निहित करने वाले सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी।

(ii) बोर्ड कंपनी नियमावली में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार, निगम की वेबसाइट पर और अपनी रिपोर्ट में बोर्ड में सीएसआर नीति की विषयवस्तु, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति और परियेाजनाओं के गठन को प्रकट करेगा।

(iii) यदि निगम सीएसआर गतिविधियों के लिए विनिर्दिष्ट की गई धनराशि को व्यय करने में असमर्थ रहता है तो बोर्ड निदेशक मंडल की ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट में उक्त राशि के व्यय करने में अपनी अक्षमता के कारणों को स्पष्ट करेगा।

6.2. **<u>सीएसआर समिति की भूमिका:-</u>**

(i) सीएसआर समिति आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष सीएसआर नीति के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ii) सीएसआर समिति सीएमडी, सीएसआर समिति के अध्यक्ष और अधिनियम, 2013 की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व संबंधी विवरण जारी करेगी कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन और मानीटरिंग निगम के सीएसआर संबंधी उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में किया गया है।

(iii) सीएसआर समिति अनुमोदन / अनुसमर्थन के लिए प्रत्येक तिमाही में बोर्ड के समक्ष सीएसआर परियोजनाओं की समय सीमाओं में परिवर्तन, मात्राओं में विचलन और वित्तीय बाध्यताओं को प्रस्तुत करेगी।

6.3. **<u>कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग की भूमिका :-</u>**

(i) कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग यह सुनश्चित करेगा कि सभी गतिविधियों के प्रलेखन को लेखा परीक्षा और रिर्पोटिंग के लिए कार्य स्थलों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालयों में पूरी बारीकी से अनुरक्षित किया गया है।

(ii) कॉर्पोरेट सीएसआर विभाग निगम केंद्र, अपनाई गई सीएसआर गतिविधियों के क्षेत्रों और स्थलों से प्राप्त रिपोर्टों को संकलित करेगा और निगम के लिए एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सीएसआर समिति के जरिए बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(iii) सीएसआर समिति बोर्ड समिति बोर्ड के अनुमोदन के साथ अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ इसके सामंजस्य और वार्षिक रिपोर्ट को दिए जाने वाले प्रचार के तरीकों पर निर्णय लेगी।

7.0. **<u>सीएसआर गतिविधियों का वित्तपोषण:-</u>**

7.1. निगम द्वारा वार्षिक रूप से सीएसआर नीति पर तीन तत्कालीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत शुद्ध लाभ के कम से कम दो प्रतिशत को व्यय किए जाने की आवश्यकता है। (औसत निवल लाभ को अधिनियम, 2013 की धारा 198 में उपलब्ध कराए गए अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।) यदि किसी मामले में, कंपनी इस राशि को व्यय करने में असमर्थ रहती है तो उसे इसे व्यय न किए जाने के कारणों को विनिर्दिष्ट करना होगा। तथापि, वर्ष के दौरान की गई वचनबद्धताओं और स्वीकृतियों में चूक नहीं होगी और स्वीकृत परियोजनाओं को सीएसआर के तहत पूर्ण किया जाएगा।

7.2 उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं को अपनाने के लिए अन्य सीपीएसई उपक्रमों / कंपनियों के साथ संसाधनों को एकत्र किया जा सकता है, जिनकी दृश्यता अधिक हो, लाभार्थियों की संख्या अधिक हो और जिनका प्रभाव व्यापक और स्थिरता हो। तथापि, संबंधित सीपीएसई / कंपनियों की सीएसआर समितियों के कंपनी (सीएसआर) नियमावली के अनुसरण में ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट करने की स्थिति में होना चाहिए।

7.3 निगम के कार्मिकों की सीएसआर क्षमता का निर्माण करने पर हुए व्यय को एक वैध सीएसआर व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में निगम के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

7.4 सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कोई अतिरिक्त निधियां निगम के व्यापार लाभ का भाग नहीं होंगी और उनका कंपनी (सीएसआर) नियमावली के अनुसरण में समायोजन किया जाएगा।

7.5 परियोजनाओं के आवश्यकता मूल्यांकन / आधारभूत अध्ययन, योजना, क्रियान्वयन, मानीटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन में शामिल गतिविधियों पर उपगत किए गए सभी व्यय को प्रशासनिक ऊपरिशीर्ष पर हुए व्यय सहित सीएसआर

व्यय में शामिल किया जाएगा किंतु ऐसा व्यय किसी एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

7.6 सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों को स्वीकृत करने के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात समय-समय पर पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

8.0. <u>संचार संबंधी कार्य नीति</u>

हितधारकों के साथ अधिक विस्तृत संप्रेषण के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग किया जाएगा। पावरग्रिड की सीएसआर पहलों को समझने के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शन, ई-मेल, वार्षिक सीएसआर पुस्तिका, वार्षिक रिपोर्ट आदि मुख्य साधन होंगे।

9.0 <u>सामान्य:-</u>

9.1 यह नीति समय-समय पर यथा संशोधित कंपनीज अधिनियम / कंपनीज (सीएसआर) नियमावली और सरकारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा संशोधित की जाएगी जब भी इनको स्थापित किया जाएगा और ये लागू हो जाएंगे।

9.2. यह नीति आयोजना और सीएसआर गतिविधियों के चयन के लिए संदर्भित दस्तावेज के रूप में काम करेगी, हालांकि, किसी शंका की स्थिति में, परवर्ती के साथ किसी असंगतता से बचने के लिए कंपनीज अधिनियम और कंपनीज (सीएसआर) नियमावली की प्रति संदर्भ (क्रास रेफरेंस) लेने की सलाह दी जाती है।

9.3. सीएसआर नीति को संशोधित / परिशोधित करने की शक्तियां निदेशक मंडल को सौंपी गई हैं।

9.4. समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित और यथा संशोधित सीएसआर नीति, 2021 के अनुसरण में और उनके अनुपालन में नियमों को तैयार करने में और साथ ही पावरग्रिड में, सीएसआर नीति, 2021 के समग्र क्रियान्वयन के लिए भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उत्तरदायी होंगे।

****